

फर्द अहकाम

उहलाद बनाम बाबूलाल कौर

2022
(फरवरी)

किस आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.22	<p>वादी के वकील ने दावा पेश किया - डिपोर्ट किया गया होकर पेश हुई प्रमाण दल रजिस्टर किया जाकर प्रतिकारिता की तलबी जारी होकर पठानवी दिनांक 6.9.22 को पेश हो।</p>	
6/9/22	<p>पठानवी पेश हुई परकार वकील उप. है प्रतिकारिता की ओर से कोई उप. नहीं रजिस्टर कर तलबी हेतु पठानवी दिनांक 9/11/22 को पेश हो।</p>	
9/11/22	<p>पठानवी पेश हुई परकार वकील उप. है इन्तजार तलबी हेतु पठानवी दिनांक 30/11/22 को पेश हो।</p>	
16/11/22	<p>पठानवी आज भूमिल वादी के शीघ्र सुनवाई के आ. पत्र पर तलब की गई। वकील वादी व वादी स्वयं उप. हैं वकील वादी ने आ. पत्र पेश किया कि परकार के जख्त आपसी समझौते होने के कारण अभी नहीं चलना चाहते हैं। व दावा थोड़े जख्त की भक्ता से विज्ञी करना चाहते हैं। अतः दावा वादी स्वयं वादी व वादी वकील के विज्ञी आ. पत्र पेश होने पर आ. पत्र स्वीकार किया जाकर दावा विज्ञी (आरिज) किया जाना है। पठानवी वार लुम्हील दायित्व दफ्तर हो।</p>	<p>उहलाद गुजर</p> <p>बाबूलाल कौर</p>

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)